

अग्रसालय सहायक क्लर्क (प्रोप्री) / उप जिलाधिकारी, टूण्डला।

सं. 201701262104272

धारा 80 उ०प्र० राजस्व संहिता 2006

आवेदक का

नाम

उ०प्र० सरकार

मौजा-कोटकी, तहसील टूण्डला।

दिनांक 27/3/17

निर्णय

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही वादी ख्याली राम पुत्र हरीसिंह निवासी सिकरारी तहसील टूण्डला द्वारा उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 80 (1) आरसी प्रपत्र-25 नियम 85 (1) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 03.05.2016 के आधार पर प्रारम्भ की गयी। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार टूण्डला से आख्या प्राप्त की गयी। तहसीलदार टूण्डला द्वारा अपनी आख्या दिनांक 10.01.2017 द्वारा राजस्व निरीक्षक टूण्डला की आख्या दिनांक 08.11.2016 को संस्तुति सहित अग्रसारित किया गया है, जो पत्रावलित है। तहसीलदार टूण्डला / राजस्व निरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट के द्वारा अवगत कराया है कि आवेदक मौजा कोटकी के खाता संख्या 53 गाटा संख्या 775 रकवा 0-202 है० लगानी मु० 6.55 रु० व खाता संख्या 81 गाटा संख्या 774 रकवा 1-210 है० लगानी 39-40 रु० के पूर्ण भाग में से 1/6 भाग का संकमणीय भूमिधर है। आवेदक द्वारा गाटा संख्या 775 के रकवा 0-164 है० मालगुजारी मु० 7.00 रु० तथा गाटा संख्या 774 है० के रकवा 0-164 है० मालगुजारी मु० 5.00 रु० कुल 02 कित्ता रकवा 0-328 है० मालगुजारी मु० 12.00 रु० को अकृषिक घोषित कर लगाने मुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त भूमि कृषि, वागवानी, कुटकुट पालन, मत्स्य पालन के उपयोग में नहीं लायी जा रही है। स्थल पर भूमि की वाउण्ड्री वाल हो रही है एवं रोड बनी हुई हैं। जिसकी पुष्टि हेतु तहसीलदार द्वारा आख्या के साथ मौके के फोटोग्राफ एवं जोत चकबन्दी आकार पत्र 41 व 45 व मौके का नक्शा नजरी, नकल खसरा खतौनी वर्ष 1420 फसली लगायत 1425 फसली के खाता सं० 53 व 81 की नकल तथा शपथ पत्र संलग्न किया गया है। राजस्व निरीक्षक / तहसीलदार टूण्डला की जांच आख्या में यह भी उल्लेख किया गया है कि जोत चकबन्दी आकार पत्र 41 व 45 में गाटा सं० 250 सार्वजनिक उपयोग की भूमि नहीं है और न ही ग्राम सभा की भूमि है, वलिक संकमणीय भूमिधर कारस्तकारो की भूमि है। संलग्न फोटोग्राफ के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि में प्लांटिंग का कार्य हो रहा है। आवेदक ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के नियम 85 (2) के अन्तर्गत जिलाधिकारी फिरोजाबाद द्वारा निर्धारित मूल्यांकन दर के अनुसार मालियत मु० 24,60,000-00 रु० की एक प्रतिशत धनराशि मु० 24,600-00 रु० निर्धारित लेखाशीर्षक में चालान संख्या 21 दिनांक 24.03.2017 द्वारा राजकीय कोष में जमा कर दिया गया है। आख्या में यह भी उल्लेख किया गया है कि धारा 80(1) के अन्तर्गत ऐसी कोई घोषणा मात्र इस आधार पर नहीं की जा रही है कि जोत या उसका भाग चोहर दीवारी से घिरा है या मौके पर परती है वलिक संस्तुति इस आधार पर की गयी है कि उक्त भूमि आवादी के रूप में विकसित है। अतः उपरोक्त भूमि को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 80 के अन्तर्गत अकृषिक घोषित करते हुए लगान मुक्त किये जाने हेतु आख्या प्रेषित की गयी है।

पक्षकारों के तर्कों को सुना एवं पत्रावली पर रक्षित तहसीलदार टूण्डला की आख्या दिनांक 10.01.2017 के साथ मौके के फोटोग्राफ, नक्शा नजरी, जोत चकबन्दी आकार पत्र 41 व 45, नकल खसरा, खतौनी दाखिल की गयी है, का अवलोकन किया। आवेदक उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के नियम 85 (2) के अन्तर्गत उदघोषणा शुल्क की आवश्यक

.....2/-



रकम मु० 24,600-00 रू० निर्धारित है तहसीलक में चालान संख्या 21 दिनांक 24.03.2017 द्वारा जमा किये गये हैं। पत्रावली पर उक्त आख्या दिनांक 10.01.2017 से स्पष्ट है कि नियम 85(3) के अन्तर्गत उपरोक्त भूमि पर कृषि से जुड़ा कोई कार्य नहीं हो रहा है तथा भूमि हामचानी कुकुरट पालन मत्स्य पालन के रूप में प्रयोग में नहीं लायी जा रही है। भूमि की घासपत्तीचाल बनी है, मौके पर सड़क बनी है तथा प्लाटिंग का कार्य हो रहा है, जो आवादी के रूप में विकसित हो रही है। आख्या में यह भी उल्लेख किया गया है कि उ०प्र० राजस्व संहिता की धारा 80 (4) के अनुसार अकृषक/आवादी घोषित किये जाने से सार्वजनिक, पब्लिक होम की सम्भावना नहीं है। प्रश्नगत भूमि के अकृषक घोषित किये जाने से सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा या सुविधा पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है व उक्त भूमि महायोजना के अन्तर्गत नहीं आ रही है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर ही इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि तहसीलदार दूण्डला द्वारा प्रस्तुत आख्या से सहमत होते हुए उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 80 के अन्तर्गत मौजा दूण्डली तहसील दूण्डला के खाता सं० 53 के गाँव सं० 775 रकवा 0-202 है० लगानी मु० 6.55 रू० एवं खाता संख्या 81 के गाँव संख्या 774 रकवा 1-210 है० लगानी मु० 39.40 रू० भूमि में से नजरी नक्शा में लाल रंग से प्रदर्शित खाता सं० 53 के गाँव सं० 775 रकवा 0-164 है० लगानी मु० 7.00 रू० एवं खाता संख्या 81 के गाँव संख्या 774 रकवा 0-164 है० लगानी मु० 5.00 रू० भूमि को कृषि भूमि से अकृषक घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः तहसीलदार दूण्डला की जाँच आख्या दिनांक 10.01.2017 को स्वीकार करते हुए ख्याली राम पुत्र हरीसिंह निवासी सिकरारी तहसील दूण्डला की मौजा कोटकी स्थित खतौनी 1420 लगायत 1425 फ० के खाता सं० 53 के गाँव सं० 775 रकवा 0-202 है० लगानी मु० 6.55 रू० एवं खाता संख्या 81 के गाँव संख्या 774 रकवा 1-210 है० लगानी मु० 39.40 रू० भूमि में से नजरी नक्शा में लाल रंग से प्रदर्शित खाता सं० 53 के गाँव सं० 775 रकवा 0-164 है० लगानी मु० 7.00 रू० एवं खाता संख्या 81 के गाँव संख्या 774 रकवा 0-164 है० लगानी मु० 5.00 रू० भूमि को अकृषक/आवादी भूमि घोषित करते हुए लगान मुक्त किया जाता है। तदनुसार परवाना अमलदरामद जारी करे। आदेश की प्रमाणित प्रति उप निबन्धक दूण्डला को प्रेषित की जाये। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक : 27.03.2017



(Handwritten signature)
 (संगम लाल पादव)
 सहायक कलेक्टर(प्र०श्रे०)/
 उप जिलाधिकारी, दूण्डला।

उक्त आदेश सदिनांक 27.03.2017 को द्वारा खुले न्यायालय में उदघोषित किया गया।

दिनांक : 27.03.2017

(Handwritten signature)
 (संगम लाल पादव)

1. क्रम संख्या ----- 763 ----- सहायक कलेक्टर(प्र०श्रे०)/
2. प्रार्थना पत्र देने वाले का नाम ----- श्री योगेश कुमार शर्मा ----- उप जिलाधिकारी, दूण्डला।
3. प्रार्थना पत्र देने का दिनांक ----- 27/3/17 -----
4. नकल तैयार करने का दिनांक ----- 27/3/17 -----
5. नकल जारी करने का दिनांक ----- 27/3/17 -----

सहायक कलेक्टर

(Handwritten signature)
 सहायक कलेक्टर(प्र०श्रे०)

